कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी।
पत्रांक 2231 / 14–1 मैनपुरीःदिनॉकःमार्च, 12, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के सम्बन्ध में (Self contained note)

सन्दर्भः– वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा का पं0 4145/14–1 दि0 09–03–2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देश के कम में उक्त विषयक प्रकरण की सूचना निम्नानुसार प्रेषित है –

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैनपुरी द्वारा शिकोहाबाद– मैनपुरी मार्ग पर कि0मी0 32 से 33 के मध्य 0.2720 हे0, शिकोहाबाद–फर्रूखाबाद रेलमार्ग पिलर सं0 1246/1 से 1246/2 के मध्य 0.2010 हे0 एवं लोअर गंगा नहर (कानपुर ब्रांच) किमी0 39 से 40 के मध्य 0.3154 हे0 कुल 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि 765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन पैकेज (TE08) के निर्माण कार्य में प्रस्तावित है । प्रस्ताव की आनलाइन सं0 **FP/UP/TRANS/26448/2017** है। जिसकी संयुक्त जॉच प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री दीपक अवस्थी, तकनीशियन एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी द्वारा की गई । उपरोक्त संयुक्त आख्या के अवलोकन एवं अधोहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 06–3–2018 में पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार/बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि के ऊपर से पारेषण लाइन खीच ली गई है। परन्तु मौके पर किसी किस्म की वनस्पतिक क्षति नहीं पहुँचाई गई है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0,लखनऊ के स्थाई आदेश दिनॉक 03–2–2005 के कम में निम्न विन्दुओं पर सूचना निम्न प्रकार है –

1– स्थल का विवरण भूमि का क्षेत्रफल, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पति का विवरण –

क0 सं0	रेंज का नाम	स्थल का विवरण	प्रभावित संरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल
1	मैनपुरी	शिकोहाबाद– मैनपुरी मार्ग पर कि0मी0 32 से 33 के मध्य दोनो पटरी	0.2720 हे0
2	मैनपुरी	शिकोहाबाद–फर्रूखाबाद रेलमार्ग पिलर सं0 1246/1 से 1246/2 के मध्य दोनो पटरी	0.2010 हे0
3	मैनपुरी	लोअर गंगा नहर (कानपुर ब्रांच) किमी0 39 से 40 के मध्य दोनो पटरी	0.3154 हे0
		कुलयोग	0.7884 हे0

मौके पर किसी किस्म की वनस्पतिक क्षति नहीं पहुँचाई गई है।

2– रिपोर्ट–एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में वे दस्तावेज भेजे जायेगे जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगे जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है–

उक्त उल्लघंन में पावर ग्रिड कारपोरेशन, मैनपुरी के मुख्य प्रबन्धक, श्री एस0एस0 यादव प्रथम दृष्टया दोषी है ।

3– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लघंन को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी एवं पावरग्रिड के प्रतिनिधि श्री दीपक अवस्थी, (तकनीशियन) की संयुक्त निरीक्षण आख्या के अवलोकन एवं उपरोक्त प्रस्ताव हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण दि0 06–3–2018 में पाया गया कि, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के संरक्षित वनभूमि के ऊपर से पारेषण लाइन खींच ली गई है । इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी के मुख्य प्रबन्धक को इस कार्या0 के पत्र 2173/14–1 दिनॉक 06–3–2018 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

4– यदि किसी भूल चूक जिसके कारण अधिनिमय का उल्लंघन हुआ हो और उत्तरदायित्व निर्धारण कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मैनपुरी द्वारा 765 के0वी0डी0सी0 उरई अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण मे बिना भारत सरकार/सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त किये पारेषण लाइन खींचकर 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित की गई है । जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है ।

भवदीय

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रॉक 2231 / दिनॉकित

1– प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन आगरा को सूचनार्थ प्रेषित ।
2– प्रतिलिपि वन संरक्षत आगरा वृत्त आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी